

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर.

अपील संख्या -801 / 2014 / उदयपुर

सहायक आयुक्त,
वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट एण्ड लीजिंग टेक्स, उदयपुर

.....अपीलार्थी.

बनाम

मैं ० कमल कोरो कन्ट्रोल सर्विसेज,
उदयपुर

.....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ
ईश्वरी लाल वर्मा— सदस्य

उपस्थित : :

श्री डी पी औझा,
उप राजकीय अभिभाषक
श्री राकेश मेहता,
अधिकृत अधिवक्ता

.....अपीलार्थी की ओर से.
.....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 08 / 03 / 2016

निर्णय

यह अपील राजस्व द्वारा अतिरिक्त आयुक्त, अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर, उदयपुर (जिसे आगे “अपीलीय अधिकारी” कहा जायेगा) के अपील संख्या 173/वैट/ 212-13/उदयपुर में पारित किये गये निर्णय दिनांक 12.12.2013 के विरुद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे “वैट अधिनियम” कहां गया है) की धारा 83 के तहत प्रस्तुत की गई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी ठेकेदारी का कार्य करता है। वाणिज्यिक कर अधिकारी, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट एण्ड लीजिंग टेक्स, उदयपुर (जिसे आगे “कर निर्धारण अधिकारी” कहा जायेगा) ने प्रत्यर्थी व्यवहारी ने चारों तिमाही के बिक्री विवरण पत्र वेट-10 (वर्ष 2009-10) देरी से पेश किया है। अतः कर निर्धारण अधिकारी ने वेट अधिनियम की धारा 23 व 24 के अन्तर्गत अपने आदेश दिनांक 15.02.2012 द्वारा प्रत्यर्थी के विरुद्ध शास्ति रु0 60,251/- व कर रु0 46,000/- का करारोपण किया। कर निर्धारण अधिकारी के उक्त आदेश के विरुद्ध, प्रत्यर्थी व्यवहारी ने प्रथम अपील, अपीलीय अधिकारी के समक्ष पेश करने पर, अपीलीय अधिकारी ने अपने निर्णय दिनांक 12.12.2013 द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी के माल को सर्कम संविदा के निष्पादन में उपयोग में लिये जाने के फलस्वरूप इसको कर योग्य माना तथा आरोपित शास्ति अपास्त कर दी गई। इस अपील में अपीलीय अधिकारी द्वारा आरोपित शास्ति को बहाल करने को चुनौती दी गई है।

अपीलार्थी के विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत करते हुये कहा कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेश सही है क्योंकि व्यवहारी ने विवरण पत्र वेट-10 विलम्ब से पेश किया है अतः विवरण पत्र विलम्ब से पेश करने के कारण कर निर्धारण अधिकारी ने उस पर शास्ति का आरोपण किया है। विद्वान अभिभाषक का कथन है कि अपीलीय अधिकारी द्वारा शास्ति को अपास्त कर व्यवहारी की अपील आंशिक रूप से स्वीकार कर विधिक त्रुटि की है। उनका निवेदन था कि अपीलीय अधिकारी के आदेश को अपास्त कर, शास्ति के बिन्दु पर कर निर्धारण अधिकारी के आदेश को बहाल किया जावे।

प्रत्यर्थी व्यवहारी के विद्वान अधिकृत अधिवक्ता ने कथन किया कि आलौच्य अवधि के कर निर्धारण हेतु कर निर्धारण अधिकारी ने अपीलर्थी को कोई नोटिस ही जारी नहीं किया है। कर निर्धारण अधिकारी की पत्रावली पर आलौच्य अवधि का प्रत्यर्थी व्यवहारी को कोई नोटिस जारी होना, पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है, नोटिस तामील होने का प्रमाण भी उपलब्ध नहीं है। कर निर्धारण अधिकारी ने व्यवहारी को बिना नोटिस जारी किये बिना ही व्यवहारी के विरुद्ध मांग सृजित की गयी है। विद्वान अभिभाषक का कथन है कि अपीलीय अधिकारी द्वारा सही रूप से शास्ति को अपास्त करने का आदेश पारित किया गया है। अतः अपीलीय अधिकारी का आदेश विधिनुसार उचित होने से यथावत रखा जाकर विभागीय अपील अस्वीकार की जायें। अपने तर्क के समर्थन में माननीय राजस्थान कर बोर्ड द्वारा पारित न्यायिक दृष्टान्त मैं 0 बियानी एन्टरप्राइजेज, जोधपुर बनाम वा.क.अ. उड़नदस्ता, जोधपुर निर्णय दिनांक 26.09.2012 का हवाला देते हुए, अपील अस्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

उभयपक्षीय बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। कर निर्धारण अधिकारी की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि कर निर्धारण अधिकारी ने प्रत्यर्थी व्यवहारी को नोटिस जारी ही नहीं किया है। कर निर्धारण अधिकारी ने व्यवहारी को सुनवाई का समुचित अवसर दिये एवं बिना विशिष्ट नोटिस जारी किये शास्ति का आरोपण कर दिया गया, जो उचित नहीं है। कर निर्धारण अधिकारी को चाहिये था कि व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत विवरण पत्र की सही जाँच करते एवं यदि विलम्ब से विवरण पत्र पेश किया तो व्यवहारी को इस बाबत नोटिस जारी करते। इस प्रकार बिना नोटिस जारी किये ही व्यवहारी के विरुद्ध धारा 58 में शास्ति का आरोपण विधिसम्मत नहीं है। जैसा कि राजस्थान कर बोर्ड द्वारा अपने न्यायिक दृष्टान्त अपील संख्या 1321/2011/जोधपुर मैं 0 बियानी एन्टरप्राइजेज, जोधपुर बनाम वा.क.अ.उड़नदस्ता, जोधपुर निर्णय दिनांक 26.09.2012 में निर्धारित किया है।

अपीलीय अधिकारी द्वारा इसी आधार पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित शास्ति को अपास्त किया गया है, जिसमें किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि प्रतीत नहीं होती। अतः अपीलीय अधिकारी के निर्णय दिनांक 12.12.2013 की पुष्टि करते हुए, कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।


(इश्वरी लाल वर्मा)

सदस्य